IJAER/ November-December 2023/Volume-12/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

झारखण्ड आन्दोलन का समाज दर्शन : उद्देश्य, क्रिया विधियाँ एवं रणनीति

Alka Shiwani

Research Scholar,Department of History

Radha Govind University,Ramgarh Jharkhand

झारखण्ड का अर्थ है – झार– झंखाडो का क्षेत्र यानी जंगल का इलाका जंगल और आदिवासियों वाले इस इलाके को बहुत पहले से 'झारखण्ड' कहा जाता रहा है। लेकिन अलग झारखण्ड राज्य के आन्दोलन के अस्तित्व में आने के बाद यह शब्द एक विशिष्ट राजनैतिक भौगोलिक अर्थ व्यक्त करने लगा। बिहार के छोटानागपुर–संथाल परगना के 18 जिले–पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, राँची, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, गिरीडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और देवघर पश्चिम बंगाल के पुरूलिया, मेदनीनगर ओर बाकुडा उड़ीसा के क्योंझर, मयूरमंज, सुन्दरगढ़, संभलपुर, मध्यप्रदेश के रायगढ़ और सरगुजा के इलाके को झारखण्ड का पर्याय माना जाने लगा। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने झारखण्ड राज्य के प्रारूप में छोटानागपुर, संथाल परगना के 18 जिलों को ही शामिल किया गया।

कूट शब्द – अस्तित्व, आह्वान, अहिसंक, नाकेबंदी, स्वायतता, उलगुलान।

प्रस्तावना

अतीत में झारखण्ड क्षेत्र को खुसरा और छोटानागपुर भी कहा जाता रहा है। बहुत पहले से यह इलाका सामाजिक–सांस्कृतिक रूप से एक स्वायत क्षेत्र का बोध कराता रहा है। पुराने बंगाल सूबे में अवस्थित इस इलाके में आदिवासियों की आबादी ज्यादा रही है। सन् 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया और छोटानागपुर उड़ीसा आदि के इलाके के साथ उत्तर और मध्य

बिहार का सम्पूर्ण क्षेत्र बिहार प्रान्त बना। फिर सन् 1935 में बिहार और उड़ीसा अलग–अलग प्रान्त बन गए उस वक्त छोटानागपुर का पठारी इलाका बिहार में बरकरार रखा गया। इस पठारी क्षेत्र को 1833 में अंग्रेजों ने दक्षिण पश्चिम सीमान एजेन्सी भी कहा। छोटानागपुर प्रमंडल इसी के बाद अस्तित्व में आया और तब से यह नाम लोकप्रिय हो गया। बहुत दिनों तक संथाल परगना एक अलग प्रशासनिक इकाई था। ब्रिटिश सरकार को कई बार संथाल परगना में आदिवासी विद्रोहों का सामना करना पड़ा था।

झारखण्ड क्षेत्र में आदिवासी दलित और नागजाति के लोग बहुत प्राचीन काल से निवास करते आए है। संथाली, मुंडा, हो, खडिया, भूमिज, खरवार, बिरहोर जैसे जातियो के लोग वहां के पुराने निवासी है। इनकी भाषाएं आस्ट्रिक भाषा परिवार भी है। इन्हीं जातियो ने इस क्षेत्र के जंगल में बहुत पहले कभी शरण ली होगी और झाड–झंखाड साफ कर रहने लगे और जीने लायक परिवेश तैयार किया होगा झारखण्ड क्षेत्र में निवास करने वाले दलितों और दलित मुसलमानों के बारे में कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का यह अनुमान सही लगता है कि वे मूलरूप से आदिवासी या नागवंशी ही रहे है। बाद के दिनों की बदली सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियों और मोमिन मुसलमान के रूप में बदल गए।

झारखण्ड आन्दोलन के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब झारखण्ड आन्दोलन के उग्रवाद व आतंकवाद की दिशा में अग्रसर होने की संभावनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आज झारखण्ड स्टुडेन्टस युनियन और झारखण्ड पीपुल्स पाटी ने 1 मार्च 1992 को झारखण्ड बंद का आह्वान किया। राज्य सरकार की ओर से पूरा इंतजाम किया गया कि हिंसा की वारदाते न हो फिर भी हिंसक वारदाते व्यापक स्तर पर हुई। आयोजकों का दावा था कि आन्दोलन शांतिपूर्ण व अंहिसक होगा जो व्यर्थ गया।

बंद का असर दक्षिण बिहार में ही हुआ और दक्षिण बिहार ही झारखंडी प्रभाव वाला क्षेत्र है। राँची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम आदि इलाके में बंद का ज्यादा असर रहा। झारखण्ड आंदोलन

के नेता जिन 21 जिलों को मिलाकर पृथक राज्य बनाने की बात कहते है, उनमें से बिहार के दक्षिणी जिलों को छोड़कर और कहीं भी इस पुकार का असर नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में भी जहाँ झारखण्ड नेताओं का प्रभाव है, बंद का आह्वान प्रभावहीन रहा। इस बंद के बाद पांच दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की गई जिसका असर आम जनता पर पड़ा तथा दैनिक जनजीवन प्रभावित रहा। बंद के दौरान 12 व्यक्ति बम विस्फोट से घायल हुए। ये घटनाएँ आन्दोलन के उग्रवाद के पथ पर चलने का पूर्व संकेत थी। मध्य बिहार पहले से ही हिसां के ताडव से ग्रस्त था। दक्षिण बिहार में फैला झारखण्डी आतंकवाद पूरे बिहार को असहजता की ओर धकेल सकता था।

अलग झारखण्ड की मांग पांच दशक पुरानी हो चुकी थी। हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बावजूद आंदोलन अबतक सामान्यतः शांतिपूर्ण ही रहा था। यदि अलग राज्य की मांग नहीं मानी गई अथवा इस क्षेत्र के लोगों की जायज मांगो पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया तो इसके लिए झारखण्डी नेता भी कम जिम्मेदार नहीं थे। इस क्षेत्र के विकास का जो तरीका रहा है उसने यहाँ के निवासियों की समस्याएँ बढ़ाई ही है। यह सच है कि अलग राज्य का निर्माण इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का अपने आप में कोई सामाधान नहीं था लेकिन यदि वनवासी अपने ही इलाके में अपने को बेगाना पा रहे थे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन थे।

झारखंडी नेताओं में आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन मतभेदों ने उन्हें अपने उद्देश्यों की आंशिक तौर पर भी हासिल करने के रास्ते में भी बाधाएँ पहुँचाई है। लेकिन यह मतभेद उनकी आपसी प्रतिस्पर्धाओं के चलते खून–खराबे की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे थे। देश की खनिज सम्पदा का एक बड़ा भंडार इसी इलाके में हैं। आर्थिक नाकेबंदी के तहत यहाँ के खनिज पदार्थो तथा उनके उत्पादों को बाहर ले जाने से रोकने की घोषणा की गई। देश के औद्योगिक उत्पादन में मंदी की खबरे पहले से ही आ रही थी। चार राज्यों में फैले इस खनिज क्षेत्र में यदि आर्थिक नाकेबंदी का दौर शुरू हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। इस बंद तथा उसके

बाद की नाकेबंदी को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का समर्थन नहीं था और यह भी चिंता की बात थी क्योंकि झामुमो बिहार सरकार का समर्थक दल था। यदि उसके आन्दोलन ने कोई अप्रिय मोड लिया होता तो राज्य सरकार का अस्तीत्व भी खतरे में पड़ सकता था। वैसे यह उसके लिए राहत की बात थी कि अलग झारखण्ड राज्य की मांग करते हुए झारखंडी नेता मुख्यतः केन्द्र को संबोधित करते थे।

झारखण्ड समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बी0 एस लाली की अध्यक्षता में बनायी गई 24 सदस्यी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वायतशासी महापरिषद का गठन किया जाये। दक्षिणी बिहार के 18 प्रभावित जिलों को मिलाकर बनायी जाने वाली यह परिषद एक शिखर संस्था होगी, जिसके सदस्यों में जिला परिषदों की अध्यक्ष और नामजद सदस्य शामिल होंगे। झारखण्ड सामान्य परिषद की परामर्श सहायता देने तथा लोकप्रिय प्रतिनिधियों के साथ इसके अन्तर सम्बन्धों को व्यापक बनाने के लिए झारखण्ड सलाहकार समिति बनाई जाएगी जिसमें उपर्युक्त 13 जिलों से चुने सांसद व विधायक सम्मिलित होंगे। सलाहकार समिति महापरिषद को प्रशासनिक मामलों में मशविरा देने का काम करेगी। जिसकी वर्ष में कम से कम दो बैठक आवश्यक होगी।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा भी पृथक झारखंड राज्य की अपनी मांग पर अड़ा रहा। इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा मध्यप्रदेश के कुल 22 झारखण्ड जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग की जाती रही। लेकिन विशेषज्ञ समिति ने इस मांग को स्पष्टतः अस्वीकृत कर दिया क्योंकि इससे संबंधित के विशेषज्ञ सदस्यों की राय थी कि अलग झारखण्ड राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश बनाये जाने से ही झारखंड क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उनका यह भी मत था कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और मध्यप्रदेश की सरकारें यदि चाहे तो अपनी सीमा में आने वाले झारखण्ड क्षेत्रों में बिहार के लिए प्रस्तावित महापरिषद के मॉडल को अपना सकती है। इन परिस्थितियों में झामुमो के लिए सर्वप्रथम तो यही बेहतर विकल्प था कि वह स्वायत महापरिषद

के प्रस्ताव को स्वीकृत कर ले, क्योंकि समय बीतने के साथ–साथ झारखण्ड क्षेत्र के निवासियों को अधिक स्वायतता और स्वशासन देने में झारखण्ड सामान्य परिषद की भूमिका बेहतर साबित हो सकती है।

झामुमो ने अलग झारखंड राज्य प्राप्त करने के लिए 'उलगुलान' अर्थात निर्णायक संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। झामुमो के अध्यक्ष शिबु सोरने ने कहा कि यदि केन्द्र सरकार शीघ्र ही अलग राज्य प्रदान करने के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं करती है तो उनकी पार्टी झारखण्ड क्षेत्र में व्यापक स्तर पर आर्थिक नाकेबंदी, धरना और उचित आन्दोलनात्मक कार्यवाही करेगी। शिबु सोरेन ने विगत में यह भी धमकी दी थी कि यदि केन्द्र सरकार ने शीघ्र ही झारखण्ड विषयक समिति की रिपोर्ट पर अपना फैसला नहीं दिया तो उनकी पार्टी के सभी संसद और चने गये विधायक त्याग पत्र दे सकते है, अन्य सभी प्रमुख पार्टियों यथा झारखंड समन्वय समिति आजसु इत्यादि ने भी केन्द्र और राज्य सरकार की ढुलमुल नीति के कारण आन्दोलन करने की ढान ली। भले ही झारखंडी संगठनों में आपसी अन्तः कलह मौजूद हो। लेकिन इस मुद्दे पर सभी एक मत थे कि सरकार द्वारा चार राज्यों–बिहार, उड़िसा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 22 जिलों को मिलाकर अलग राज्य के गठन की बात मान लेनी चाहिए।

बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक बार फिर गरम हवा चल पड़ी, पहली बार आदिवासियों को लग रहा था कि उन्हें कुछ मिलने वाला हैं, मगर केन्द्र उन्हें क्या देना चाहती है और उनके नेता क्या लेना चाहते है वे साफ नहीं था, केन्द्रीय गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष मिल बैठकर बात करें तभी इसका हल निकल सकता है और कोई भी समाधान पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सहमति से ही हो सकता है, इसी दौरान खनिज सम्पदा के मालामाल और बिहार की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार झारखंड क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी शुरू हो गई। नेताओ ने कहा, आर्थिक नाकेबंदी उस समय तक चलती रहेगी जबतक झारखंड राज्य मांग पूरी नहीं होती।'' इस बार आन्दोलन का ढंग भी निराला था। आर्थिक नाकेबंदी के चार दिन पहले विभिन्न राजनैतिक

रंगो के झारखण्ड प्रेमी नेताओं का जिनमे कांग्रेस के ज्ञानरंजन सरफराज अहमद, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के शिबु सोरेन सूरज मण्डल और सुबोध कांत, पीपुल्स पार्टी के रामदयाल मुंडा, बिहार के आदिवासी कल्याण मंत्री करमचंद भगत और खनिज निगम के अध्यक्ष लालचंद महतो प्रमुख थे। राँची में एक मेला लगा। यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आदिवासियों को केन्द्र द्वारा झारखण्ड स्वायत क्षेत्र का मसौदा सुनाया गया और फिर नाटकीय ढंग से 14 मार्च की मध्यरात्रि तक हर मर्ज की दवा केन्द्रीय आंतरिक राज्यमंत्री राजेश पायलट ने झारखण्ड के नेताओं से बातचीत की। मगर नतीजा वही हुआ जो कई वर्षो से आदिवासियों के साथ हुई विफल वार्ता के बाद बताया कि सह साफ ही नहीं है कि केन्द्र क्या देना चाहता है और कैसे देना चाहता है हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

इन्हीं विवादों के बीच आर्थिक नाकेबंदी शुरू हो गई, यह पिछले 12 महीनों में अलग राज्य के सवाल पर तीसरी नाकेबंदी थी इसकी सफलता पर लोगों को पहले से ही शक था, इसके कई कारण है पहली नाकेबंदी जो पिछले साल मार्च–अप्रैल में लालू के परोक्ष समर्थन से दस दिनों तक चली, काफी कारगर साबित हुई थी और देश को करीब 1100 करोड़ रूपये का धक्का लगाया, फिर झामुमो लालू से और सितम्बर में झापीपा और ऑल झारखंड स्टुडेंटस युनियन (आजसू) के आह्वान पर आर्थिक नाकेबंदी हुई तो वह बुरी तरह विफल रही, इस बार झामुमो सहित कई पार्टियों के समर्थन से शुरू होने वाली नाकेबंदी का भी वही हाल है। नाकेबंदी शुरू होने के पहले ही लालू सरकार ने सख्त कार्यवाही कर झामुमो के महासचिव शैलेन्द्र महतो सहित लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अद्धसैनिक बलों की करीब 25 टुकड़ियो को भेजकर आर्थिक नाकेबंदी बंद कर दी।

आन्दोलन ने एक नया मोड़ ले लिया और इसकी शुरूआत 5 सितम्बर 1993 को पूणे में पूर्ण केन्द्रीय गृहमंत्री शंकरराय चव्हाण के चौंका देने वाले उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखण्ड क्षेत्र की समस्याओं का हल केन्द्रशासित क्षेत्र या अलग राज्य हो सकता है। इस बयान के कारण मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चव्हान से सीधे टकरा गए थे। तब पूर्व मुख्यमंत्री

जगन्नाथ मिश्र भी लालू की हाँ में हाँ मिलाने लगे। मगर चव्हान के बयान ने और लालू और मिश्र के खुलेआम विरोध ने इस क्षेत्र की राजनीति में एक और मोड़ ला दिया और उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच नफरत की खाई बढ गई।

ठीक उसी समय उस क्षेत्र के तीन कांग्रेसी नेताओं–ज्ञानरंजन, सरफराज अहमद और जे0 पी0 चौधरी ने अपनी पार्टी के 'पटना नेतृत्व' से विद्रोह कर झारखंड आन्दोलन को नाय बल और सशक्त आवाज दी। पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री सुबोधकांत समाजवादी जनता पार्टी को छोड़कर झारखण्ड की लड़ाई लड़ने के लिए झामुमो में शामिल हो गए। उधर जनता दल में भी खलबली मची और इस क्षेत्र के तीन मंत्रियों सहित 10 में से 6 विधायकों ने खिलाफ इस्तीफा देने की बात की और आदिवासी कल्याण मंत्री करमचंद भगत की अध्यक्षता में अलग राज्य संघर्ष संचालन समिति का गठन हुआ।

निष्कर्ष :–

पर्यवेक्षकों को कहना है कि पृथक झारखण्ड राज्य के नाम पर इस तरह के प्रयास राजनीतिक दृष्टिकोण से सरकार पर लगातार आर्थिक नाकेबंदी कर सरकार पर लगातार पृथक झारखण्ड राज्य निर्माण हेतु दबाव बनाया जाने लगा। इस तरह के प्रयास की राजनीति तो पिछले 50 वर्षो से होता आ रहा है मगर पहल दफा अब केन्द्र भी कुछ देकर मामला निबटाना चाहता है भले ही ऐसा करने से उस क्षेत्र में आंदोलन का एक नया दौर ही न शुरू हो जाए।

झारखण्ड केन्द्र और राज्य के बीच महज कुद लेने–देने का मामला नहीं था, झारखण्ड एक आंदोलन था। यह आंदोलन महज एक जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं शुरू हुआ था, बल्कि इससे जुड़ा हुआ था आदिवासी जनता और उसके अस्तित्व का सवाल।

यह गौरतलब है कि झारखण्ड आंदोलन के लंबे इतिहास में अलग राज्य की मांग कभी भी बिहार विभाजन का पर्याय मात्र नहीं था, यह आदिवासियों की अस्मिता और उनके क्षेत्र के आर्थिक विकास से जुड़ी समूचे झारखण्ड क्षेत्र को नया राज्य बनाने की थी।

संदर्भ :–

1. उर्मिलेश : झारखण्ड ''जादुई जमीन का अंधेरा''।

2. मनोरमा ईयर बुक, 1999

3. सिविल सर्विसेज, क्रॉनिकल जुलाई 1992

4. दैनिक जागरण, वाराणसी, नवम्बर 2000

5. इंडिया टूडे मार्च 1993

6. कुमार सुरेश सिंह : उलगुलान एकता प्रकाशन चाईवासा।

7. दैनिक हिन्दुस्तान (राँची संस्करण, 19 अगस्त 1999)

8. इण्डिया टूडे, 15 नवम्बर व 22 नवम्बर 2000।

9. बलवीर दत्त – कहानी झारखण्ड आन्दोलन

10. अनुज कुमार सिन्हा – असली झारखण्ड